बिहार सरकार,

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक–प्र5(2)बजट–(आवंटन)–02/2025 27 (वि०) /खाद्य,पटना, दिनांक– 18-9-2025

प्रेषक,

मो0 नैय्यर इकबाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मुंगेर, गोपालगंज एवं सहरसा, बिहार।

विषयः– मांग सं0–18 के मुख्य शीर्ष–3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष–0004 पी0 डी0 एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड 18–3456001020004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु **कुल रुपये 71,33,000/– (एकहत्तर लाख तैंतीस हजार) मात्र** के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक–235 दिनांक–01.04.2025, पत्रांक–227/वि0 दिनांक–28.03.2025 एवं पत्रांक–2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने हेतु **कुल रुपये 71,33,000/– (एकहत्तर लाख तैंतीस हजार) मात्र** को आवंटित करते हुए व्यय करने की अनुमति दी जाती है।

क्र0	**इकाई का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आय–व्यय उपबंध**	**वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु आवंटित राशि**
1	**0004 28 02 संविदा सेवाएँ**	**25,58,16,000**	**71,33,000**

2. यह राशि मांग सं0–18 के मुख्यशीर्ष–3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–102 सिविल पूर्त्ति योजना, उपशीर्ष–0004 पी0 डी0 एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0–18–3456001020004 के विषयशीर्ष 0004.28 02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में विकलनीय होगी, जो निम्नवत है :–

क्र0	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	जिला पदाधिकारी मुंगेर	18,38,000
2	जिला पदाधिकारी गोपालगंज	38,95,000
3	जिला पदाधिकारी सहरसा	14,00,000
कुल योग		**71,33,000**

3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जिला आपूर्ति कार्यालय/अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालयों को अपने स्तर से उपावंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय–समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में सम्बद्ध कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि की इकाईवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

6. राशि का भुगतान कार्यपालक सहायको के तैयार पैनल से संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायको/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–206 दिनांक–29.01.2024 द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र5(2)बजट–(आवंटन)–02/2025 27 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 18-9-2025 17/9/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र5(2)बजट–(आवंटन)–02/2025 27 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक–18-9-2025 17/9/25

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र5(2)बजट–(आवंटन)–02/2025 27 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक–18-9-2025 17/9/25

प्रतिलिपिः–संबंधित जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, एवं प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र5(2)बजट–(आवंटन)–02/2025 27 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक–18-9-2025 17/9/25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा–01 एवं 05 (लेखा शाखा), एवं आई0 टी0 मैनेजर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

17/9/25